आई.सी.ए.आर.– केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर – 440033

679 — 686

नीलामी सूचना 02/2024

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित ॲसिड लाईम फ्रुट्स (नीबू) **ब्लाक नं. 101, 102, 103, 105ए, 109, 127ए, 112ए, 212, 213** इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे नीबू फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 09.08.2024 को की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार को खरीददारी हेतु कीमत को दिनांक 09.08.2024 को लिफाफे में भरकर रू. 5,000/- की सुरक्षा जमा राशी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. ICAR Unit CCRI, Nagpur के नाम दोपहर 11.00 बजे तक बंद लिफाफे में आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करनी होगी। जिसे अपरान्ह 11.00 बजे ठेकेदार या उनके प्रतिनिधी के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तो के आधार पर होगी।

नीबू के **ब्लाक नं. 101, 102, 103, 105ए, 109, 127ए, 112ए, 212, 213** में स्थित पौधों में लगे नीबू के फलों की नीलामी एक साथ होगी। कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रू. 5,000/- (रू. पॉच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोडकर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की रकम तुरंत जमा करनी होगी ।
- **नींबू फल तोड़ने की अनुमति पूरी राशि जमा करने पर ही दि जायेगी** तथा इसके पहले आई.सी.ए.आर.–.सी.सीआर.आई. से, उसे नीलाम किए गई कोई भी नीबू फल ले जाने की अनुमती नहीं दी जायेंगी।
- नीलाम किये गये फलों को **ठेकेदार द्वारा 16/09/2024** तक **उसे अपने श्रमिकों से तोडना होगा**। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोद्य उसे अनुमति नही देते तो वह फलों को नहीं ले जा सकेंगा।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशा. अधिकारी एवं प्रभारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार नीबू के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नीबू फलों को तोडने नही दिया जाएगा और न ही उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती दी जायेगी और न ही किसी व्यक्ति या वाहन को अंदर आने की अनुमती दी जायेंगी।
- संस्थान के निदेशक महोद्य को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोद्य को शर्तो में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये नीबू फल स्वयं ठेकेदार को हटाना होगा।
- **ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा ।**

आदित्य 01/08/2024

प्रशा. अधिकारी
आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर

नरेश 01/08/24

प्रतिलिपीः

१. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
२. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
३. श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं फार्म अधीक्षक, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. नागपुर।
४. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनिकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
५. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
६. कॅश ॲण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
७. नॅशनल प्रोटेक्टीव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंन्ट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 22।
८. श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।